UPM0010064262026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

<u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-1781/2026</u>

भीम उर्फ शिवम कुमार उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्र बहादुर, निवासी मौ0 मौरा की मिलक, थाना सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मुकदमा अपराध संख्या–276/2026,
धारा–331(1), 305(a), 317(2) भारतीय न्याय संहिता,
थाना–सिविल लाइन्स, जिला–मुरादाबाद।

<u>09.06.2026</u>

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र, आवेदक/अभियुक्त भीम उर्फ शिवम कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–276/2026, अन्तर्गत धारा–331(1), 305(a), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की पत्नी/पैरोकार श्रीमती अंजना पत्नी भीम उर्फ शिवम कुमार द्वारा शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

3– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, वादी मुकदमा राजू भारती द्वारा दिनांक 07.05.2026 को इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी कि दिनांक 16.01.2026 को उसके घर ग्राम मौरा की मिलक, इंडियन गैस गोदाम के पास, वाल्मिकि मौहल्ले में मकान स्थित वादी का है। वह दिनांक 16.01.2026 को अपने पैतृक गांव गनीमत नगर उर्फ सियाली थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद अपने निजी कार्य से गया हुआ था। वह दिनांक 17.01.2026 को अपने मकान ग्राम मौरा की मिलक आया, तो उसके कमरे का ताला टूटा हुआ था तथा अलमीरा का लॉकर खुला हुआ था। अलमारी में उसकी पत्नी का जेवर, जिसमें सोने का टीका

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.06.09 18:23:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आधा तौला, सोने का मंगलसूत्र आधा तौला, सोने की नथ आधा तौला, सोने की झुमकी एक तौला, दो सोने की अंगूठी, जिसमें एक उसकी थी व एक उसकी पत्नी की थी और चाँदी की पाजेब व कूला व चोटी तथा हाथ फूल व उसने अपने मकान की मरम्मत हेतु 70,000/रू रखे थे, चोरों ने चोरी करके ले गये। उसने आस–पड़ोस के लोगों से पूछताछ की, तो उसे मौहल्ले के व आदि ने बताया कि, "तुम्हारे घर के बाहर काफी देर से, सनी पुत्र कमल व भीम पुत्र बहादुर मौरा की मिलक, को देखा।" उसे पूरा यकीन है कि उसके घर में सनी व भीम ने चोरी की है, जिनके घर के पड़ोस में कुछ सामान के खाली डिब्बे व थैला मिला है, जिसकी सूचना उसने दिनांक 28.01.2026 को पुलिस चौकी आशियाना थाना सिविल लाईन को दी थी। चौकी की पुलिस आयी और खाना पूरी करके चली गई। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण सनी व भीम के विरुद्ध उक्त मुकदमा धारा–331(1), 305(a) भारतीय न्याय संहिता में पंजीकृत किया गया। दौरान गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर मुकदमें में धारा–317(2) भारतीय न्याय संहिता की वृद्धि की गयी।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि, आवेदक को उपरोक्त अपराध में रंजिश की बिनाह पर झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। उस पर लगाया गया आरोप झूठा तथा मनगढंत है। उसने उपरोक्त अपराध कारित नहीं किया है, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित किया गया है। उससे कोई चोरी का माल बरामद नहीं हुआ है, बल्कि फर्जी बरामदगी दर्शाकर वादी मुकदमा की मंशा पूर्ण करने के उद्देश्य से झूठा फंसाया गया है। वादी द्वारा चोरी किए गए सामान का कोई बिल रसीद आदि नहीं दिए गए है, जिससे प्रतीत होता वादी द्वारा अपने चोरी हुए सामान की सूचना गलत दी है। वह व वादी मुकदमा, एक ही मौहल्ले के है और वादी पहले से ही उससे रंजिश मानता है। वादी द्वारा तहरीर में किसी स्वतंत्र गवाह या चक्षुदर्शी का नाम नहीं बताया है। घटना 16.01.2026 की बताई गई है, जिसकी सूचना वादी द्वारा 28.01.2026 को चौकी पर दी और दिनांक 07.05.2026 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है। घटना दिनांक से लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की दिनांक तक विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। केवल पड़ोस के लोगों के कहने पर उसके विरूद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है। उसके घर के पड़ोस में खाली डिब्बे जेवर के व थैला पड़ा होना अंकित है, जबकि यदि आवेदक ने चोरी की होती, वह डिब्बे या थैला घर के पड़ोस में क्यों डालता, बल्कि उन्हें नष्ट कर देता। वह दिनांक 09.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उसको पुलिस द्वारा घर से

उठाया गया है और उपरोक्त मुकदमे में झूठे कथित तथ्यों के आधार पर झूठा फंसाया गया है। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा के घर से सोने चांदी के आभूषण व रुपयों की चोरी की गयी है तथा उनके कब्जे से माल बरामद हुआ है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– प्रस्तुत प्रकरण, आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा के घर से सोने चांदी के आभूषण व रुपयों की चोरी करने तथा दौरान गिरफ्तारी उनके कब्जे से आभूषण व रुपये बरामद होने से सम्बंधित है। अभियोजन के अनुसार, प्रश्नगत घटना दिनांक 16.01.2026 की है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दिनांक 07.05.2026 को पंजीकृत करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस आशय के कथन अंकित हैं कि दिनांक 17.01.2026 को वादी जब अपने मकान पर आया, तो उसके कमरे का ताला टूटा हुआ था तथा अलमीरा का लॉकर खुला हुआ था। अलमारी में रखे जेवर(सोने का टीका आधा तौला, सोने का मंगलसूत्र आधा तौला, सोने की नथ आधा तौला, सोने की झुमकी एक तौला, दो सोने की अंगूठी और चाँदी की पाजेब, कूला, चोटी एवं हाथ फूल) व मकान की मरम्मत हेतु रखे 70,000/– रुपये, चोर चुराकर ले गये। वादी ने पूछताछ की तो मौहल्ले के लोगों ने बताया कि, "तुम्हारे घर के बाहर काफी देर से, सनी पुत्र कमल व भीम पुत्र बहादुर मौरा की मिलक, को देखा।" अभियोजन के अनुसार, प्रश्नगत घटना के लगभग पाँच माह बाद दौरान गिरफ्तारी आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से 12,200/– रुपये, एक अंगूठी पीली धातु, एक जोड़ी पायल सफेद धातु बरामद होना बताया गया है, परन्तु बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। मामला सात वर्ष व उससे कम के दण्ड से दण्डनीय अपराध है तथा मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 09.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। जहां तक, अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का एक अन्य मुकदमे का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किए जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष ने कोई भी ऐसा दस्तावेज

पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया, जिससे आवेदक/अभियुक्त की पूर्व में दोषसिद्धि प्रमाणित होती हो।

8– अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुये आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त भीम उर्फ शिवम कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को मु0–50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का स्वबंधनामा तथा समान राशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

(i)– आवेदक/अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा या उन पर कोई दबाव डालने का प्रयास इत्यादि नहीं करेगा।

(ii)– आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

(iii)– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा।

(iv)– माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19/एडमिन–जी–2 दिनांकित 03.07.2017 इलाहाबाद के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत आवेदक/अभियुक्त के जमानतनामें स्वीकृत करते समय प्रतिभुओं के स्थायी व अस्थायी पता विवरण के साथ प्रतिभुओं के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किया जावेगा।

(अनिल कुमार–IV)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–01,
मुरादाबाद।
J.O. Code–UP6124